No. 2018/HQ/Admin/RTI-449

New Delhi: 24.10.2018

Shri Shrichandra Ramchandra
Village-Na. Bhaju, Post-Kunaitha,
Tehsil-Bharathana,
District-Etawah
UP
Mobile-9720486231

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 03.10.18 received through DOPT.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

DA: 02 Sheets

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A) Date- 16-10-18

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
टुण्डला (आगरा)

विषय :– श्रीचन्द्र व रामचन्द्र पुत्रगण श्री रामसनेही, नि० ग्राम नगला भजू, पो० कुनैठा, तह०–भरथना, जिला–इटावा उ०प्र० द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– डिप्टी जी०एम० / एण्मीन / पी०आई०ओ० का पंत्राक सं० 2018 / HQ/ADMIN/RTI-449 Dated 05.10.18

महोदय,

श्रीचन्द्र व रामचन्द्र पुत्रगण श्री रामसनेही, नि० ग्राम नगला भजू, पो० कुनैठा, तह०–भरथना, जिला–इटावा उ०प्र० का दिनांक रहित पत्र डी०जी०एम० / एडमीन (पी०आई०ओ०) का पत्रांक सं० 2018/ HQ/ADMIN/RTI-449 दिनांक 05.10.18 संलग्नक के रूप में प्राप्त हुआ हैं। उक्त पत्र जो आपको सम्बोधित है, इस कार्यालय में, ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं, जिसमें जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 08 प्रस्तरों पर सूचना मांगी गई हैं, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तरवार आख्या निम्नलिखित हैं:–

1. डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष पूर्वी मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम–गोढ़ी, तहसील–भरथना, जिला–इटावा की एलाइमेन्ट में आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तीन चरणों में किया गया हैं। जिनका विवरण निम्नवत् हैं :–

कम सं०	भूमि अर्जन चरण	20ए अधिसूचना की सं० व तिथि	20ई अधिसूचना की सं० व तिथि	सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय की सं० व तिथि
1.	प्रथम चरण	का०आ० 2450(अ) राजपत्र दिनांक 29.09.2008	का०आ० 1529(अ) राजपत्र दिनांक 19.06.2009	अभिनिर्णय वाद सं० 04 / 2009–10 दिनांक 15.06.2010
2.	द्वितीय चरण	का०आ० 2751(अ) राजपत्र दिनांक 03.11.2010	का०आ० 1403(अ) राजपत्र दिनांक 07.06.2011	अभिनिर्णय वाद सं० 14 / 2011–12 दिनांक 26.08.2011
3.	तृतीय चरण	का०आ० 2678(अ) राजपत्र दिनांक 01.11.2012	का०आ० 1461(अ) राजपत्र दिनांक 07.06.2011	अभिनिर्णय वाद सं० 04 / 2009–10, 14 / 2011–12, 03 / 2013–14 दिनांक 24.03.2014

2. तृतीय पक्ष से सम्बन्धित सूचना / जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(छ) के अनुसार दिया जाना उचित नही हैं।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail— bsjaryal@dfcc.co.in, *Website* www.dfccil.gov.in

3. ग्राम–मोढ़ी, तह0–भरथना, जिला–इटावा की अधिग्रहीत भूमि का बाजारू मूल्य की सूचना उप निबन्धक, भरथना, इटावा से तथा सरकारी मूल्य की सूचना जिला मूल्यांकन सूची, से प्राप्त की जा सकती हैं। प्रार्थीगण को किस वर्ष/तिथि की उक्त सूचना अपेक्षित हैं, इस सम्बन्ध में उनके प्रार्थना पत्र में, कोई उल्लेख नहीं हैं।

4. डेडीकेटेड फ्रेट कारोडोर की मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम–मोढ़ी, तह0–भरथना, जिला–इटावा, की अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 में प्रावधानित नियमो के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

5. ग्राम–मोढ़ी, तह0–भरथना, जिला–इटावा, की परियोजना के एलाइमेन्ट में आने वाली भूमि का अर्जन नये अधिनियम *"भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एंव पारदर्शिता का अधिकार, सुधार पुनर्वास अधिनियम, 2013"* के अर्न्तगत नही किया गया हैं। यह अधिनियम डी0एफ0सी0सी में 01.01.2015 से लागू हुआ हैं। उक्त ग्राम की भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अर्न्तगत किया गया है।

6. मा0 आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के आदेश के अनुपालन में प्रार्थी श्रीचन्द्र पुत्र श्री रामसनेही, को प्लाट के मुआवजे की धनराशि रू–86,988.00 डी0डी0 सं0 38719502 दिनांक 25.09.2018 के द्वारा तथा रामचन्द्र पुत्र श्री रामसनेही, को प्लाट के मुआवजे की धनराशि रू– 86,988.00 डी0डी0 सं0 38719497 दिनांक 25.09.2018 के द्वारा भुगतान कर दिया गया हैं।

7. वर्ष 2008 में, नवीन अधिनियम *"भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एंव पारदर्शिता का अधिकार, सुधार पुनर्वास अधिनियम, 2013"* लागू नहीं था। डी0एफ0सी0सी0 द्वारा रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अर्न्तगत प्रस्तर–1 में उल्लेखित विवरणानुसार ग्राम–मोढ़ी, तह0–भरथना, जिला–इटावा की भूमि का अर्जन किया गया था। उक्त अधिनियम के अर्न्तगत ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

8. डेडीकेटेड फ्रेट कारोडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की पूर्वी मालभाड़ा परियोजना जनहित/राष्ट्रहित की महत्वांकाक्षी परियोजना हेतु भूमि की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत भूमि का अर्जन नियमानुसार करते हुए अर्जित भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया है। प्रार्थीगण की प्रभावित भूमि के स्वामित्व निर्धारण के उपरान्त प्रतिकर का भुगतान करने में विलम्ब हुआ है। प्रार्थीगण के विषयगत् प्रार्थना पत्र के प्रस्तर–8 पर मांगी गई आंशिक सूचना डी0एफ0सी0सी0 से सम्बन्धित नहीं हैं।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

16/X/2018

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail— bsjaryal@dfcc.co.in,*Website* www.dfccil.gov.in